न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 152/2017 (225 आरटीए) दयाराम बनाम प्रकाशराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00161)

दयाराम पुत्र श्री लखाराम जाति जाट निवासी ग्राम साथीन, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 प्रकाशराम पुत्र श्री गोपाराम जाति जाट, निवासी ग्राम साथीन, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर दिनांक 27.01.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 477/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।

2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री स्वरूपराम बामणिया।

3 रेस्पो. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 24.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 477/2016 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो सं. 1 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 477/2016 पेश किया कि ग्राम साथीन चक द्वितीय तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की पुश्तैनी, सहखातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 1796 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में जाने के लिए खसरा 1799 से कदीमी रास्ता चलता है अतः उसी अनुसार प्रार्थी द्वारा रास्ते के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251

के तहत आवेदन पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया कि ख्सरा नं. 1799 में से कोई कदीमी रास्ता नहीं चलता है। प्रकरण में तहसीलदार पीपाड़ शहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसमें भी खसरा नं. 1799 में कदीमी रास्ता चलना नहीं पाया गया है। तहसीलदार पीपाड़ शहर ने खसरा नं. 1799 व 1798 से भी कम दूरी का रास्ते का सुझाव दिया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षकारान की बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2017 के द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर रास्ता दिए जाने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज़ मियाददर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भयंकर कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। रेस्पोडेंट के पास पहले से ही वैकल्पिक एवं कम दूरी का रास्ता उसके खेत आगमन हेतु उसके खेत मौजूद होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका कमिश्नर द्वारा पेश की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट के विपरीत जाकर आदेश दिया है। कमिश्नर की रिपोर्ट से स्पष्ट था कि खसरा नं. 1798 व 1797 में से निकटतम एवं सुविधा जनक रास्ता चल रहा था जिसके बजाय खसरा नं. 1799 में से लंबा रास्ता उपलब्ध करवाया गया है जो किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते का क्षेत्रफल भी अपीलाधीन निर्णय में गलत लिखा है जिस 7305 वर्गफुट क्षेत्रफल का उल्लेख किया गया है वह खसरा नं. 1799 व 1798 दोनों खसरों की भूमि में से दिए जाने वाले रास्ते का क्षेत्रफल है जो तहसीलदार ने विकल्प के रूप में सुझाया था। अतः अपीलाधीन आदेश त्रुटि पूर्ण होने से खारिज किए जाने योग्य है। मोका कमिश्नर की रिपोर्ट में वर्णित वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई विचार किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता ने निर्णय के बारे में सूचित नहीं किया। हल्का पटवारी ने दिनांक 14.11.2017 को अपीलांट के खेत में रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश प्राप्त होने की जानकारी दी तब अपीलांट ने दिनांक 16.11.2017 को अधिवकता से संपर्क कर फैसले की नकल का आवेदन किया जिसके पश्चात दिनांक 17.11.2017 आदेश की प्रतिलिपित प्राप्त हुई। जिसके बाद दिनांक 11.12.

2017 को आदेश की जानकारी प्राप्त होने की दिनांक से अंदर मियाद पेश कर दी थी। अतः अपील में हुई देरी को कंडोन करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार कर अपील को मैरिट पर निर्णित करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री स्वरूपराम बामणिया ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट भी मंगाई थी जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्षकारान को सुनकर गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित किया गया है जिसमें अपीलांट अब कोई आपत्ति पेश करने के अधिकार नहीं रखते हैं अतः अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों के अनुसार पारित होने से अपील खारिज योग्य है। तदनुनसार अपील खारिज करने का निवेदन किया। इसके अलावा रेस्पो. सं. 1 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2017 को पारित किया गया है जबकि अपील दिनांक 11.12.2017 को लगभग 10 माह बाद पेश की है। धारा–5 के प्रार्थना पत्र में भी देरी का कोई ठोस आधार नहीं बताया है। अतः धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज करने एवं अपील को मियाद बाहर होने से भी खारिज निवेदन किया।

6 रेस्पो. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार प्रोफार्मा पक्षकार है अतः तथ्यों एवं परिस्थितियो के अनुसार प्रकरण में उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 प्रकरण में धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना में वर्णित तथ्यों के खण्डन में रेस्पोडेंट द्वारा जबाब एवं काउंटर शपथ पत्र पेश नहीं किया है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों व शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

इस प्रकरण अपीलांट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निकटतम रास्ता दिए जाने का आदेश पारित नहीं किया है जबकि मौका कमिश्नर की रिपोर्ट में खसरा नं. 1798 व 1799 में से निकटतम रास्ता दिए जाने का सुझाव दिया है जिस पर कोई गौर किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश में रास्ते का रकबा त्रुटि पूर्ण अंकित किया है।

9 उक्त आपत्तियों के संबंध में हमने मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट देखने से अपीलाधीन आदेश में वर्णित रास्ता काफी लंबा व घुमावदार

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

है जबकि मौका रिपोर्ट में तहसीलदार ने नक्शे पर बिंदु संख्या 6 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1796 में जाने के लिए X–X1–Y कम दूरी का निकटतम रास्ता प्रस्तावित है जिसका रकबा अपनी रिपोर्ट के बिंदु सं. 7 में 7305 वर्गफीट अंकित किया है। इस प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय अपने आदेश में कोई विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता तो प्रार्थी द्वारा चाहे अनुसार लंबा व घुमावदार दिया है लेकिन आदेश में रास्ते का रकबा 7305 वर्ग फीट अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण है इस दृष्टि से भी अपीलाधीन आदेश सही नहीं पाया जाता है। धारा–251 में प्रावधान है कि खातेदार को आत्यांतिक आवश्यकता होने पर निकटतम रास्ता प्रदान ही किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने निकटतम रास्ता प्रदान नहीं किया है तथा निकटतम रास्ते के सुझाव को भी नहीं माना है। प्रकरण में अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के मध्य समझौता या राजीनामा भी नहीं हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश धारा 251क के प्रावधानों के अनुसार नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है।

10 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2017 निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी यदि चाहे तो पृथक से नया आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

24/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 24.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर